

30.05.18

आचिवक्ता उमयपुत्र डप०। मूल प्रकरण के साथ दि. 19.06.18 को पेश हो।

19.06.18

आज 19.06.18 को प्रकरण को ही से तारीख पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 11.07.18 को पेश हो।

के

जिला कलेक्टर, दोसा

11.07.18

आचिवक्ता अपी० व राजकीय आचिवक्ता डप०। मूल प्रकरण के साथ दि० 23.07.18 को पेश हो।

जिला कलेक्टर

दोसा

23.07.18

आचिवक्ता अपी० व राजकीय आचिवक्ता डप०। मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए प्र० पत्र स्वयं विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का स्वयं प्र० पत्र खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। खुले मामालम सुनाया गया।

जिला कलेक्टर

दोसा

